छत्तीसगढ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक/एफ 5-08/2019/10-2 अटल नगर,रायपुर, दिनांक 20/05/2019
प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
केपिटल कॉम्प्लेक्स,
अटल नगर, छत्तीसगढ़।

विषय:- आवेदनकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव का दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत दहीकोंगा परिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि के 4.00 हे. में केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-735/1155 दिनांक 03.05.2019।

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में यह स्पष्ट नही है कि, प्रकरण को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्य शासन को नक्सल प्रभावित जिलों में सामान्य अनुमोदन के तहत् दिये गये अधिकारों के अधीन राज्य शासन स्तर से प्रथम चरण अनुमति जारी करने हेतु अनुशंसा की गई है। अथवा भारत सरकार, से प्रथम चरण अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर भेजा जाना प्रस्तावित किया गया है।

3/- कृपया उपरोक्त बिंदु पर स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रकरण में टीप/अभिमत प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके अनुरुप प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.क्र/एफ 5-08/2019/10-2 अटल नगर,रायपुर, दिनांक 20/05/2019
प्रतिलिपि :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit